# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 42-2018/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 10, 2018 (PHALGUNA 19, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

**Notification**

The 10th March, 2018

**No. 14-HLA of 2018/4099.—** The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Repeal Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 14- HLA of 2018**

**THE HARYANA MUNICIPAL STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) REPEAL BILL, 2018**

**A**

**BILL**

*to repeal the Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

**1.** This Act may be called the Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Repeal Act, 2018.

Repeal of Haryana Act 13 of 2014.

**2.** The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, is hereby repealed.

Saving.

**3.** Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act so repealed shall be deemed to have been done or taken under the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014).

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The State of Haryana for the welfare of street vendors promulgated the Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Ordinance, 2013 on 08.01.2014, based on the National Street Vending Policy, 2009 of the Central Government. The said Ordinance was later notified as an Act on 01.04.2014. Under the said Act, the Government of Haryana also issued policy guidelines on 05.02.2014.

Simultaneously, the Central Government notified the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 on 05.03.2014 and instructed the State Government to frame Street Vendor Rules and Scheme under the Central Act.

In view of the instruction received the Legal Remembrancer, Haryana opined that "the AD may reconsider the State Law and if the Central legislation meets the objective, the State Law may be repealed by the State Legislature as it is no use having two laws on same subject."

According to the Government order, the Department first notified the Haryana Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rule, 2017 on 31.01.2017 under the Central Act and therefore now submitting proposal to amend the Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, so that the Central Street Vendors Act may be adopted for taking further action in the matter of street vendors accordingly.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

---

Chandigarh:
The 10th March, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

*[प्राधिकृत अनुवाद]*

**2018 का विधेयक संख्या 14-एच०एल०ए०**

## हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2018

हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) अधिनियम, 2014 को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम।

**1.** यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

2014 के हरियाणा अधिनियम 13 का निरसन।

**2.** हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) अधिनियम, 2014, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

व्यावृत्ति।

**3.** ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

गली विक्रेताओं के कल्याण के लिए हरियाणा राज्य ने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय गली विक्रेता नीति, 2009 के आधार पर, 08.01.2014 को हरियाणा नगर पालिका गली विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा गली बिक्री का विनियमन) अध्यादेश, 2013 को प्रख्यापित किया। अध्यादेश को 01.04.2014 को अधिनियम रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के तहत, हरियाणा सरकार ने 05.02.2014 को नीतिगत दिशानिर्देश भी जारी किए गये।

इसके साथ ही, केन्द्र सरकार ने 05.03.2014 को गली विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा गली बिक्री का विनियमन) अधिनियम, 2014 को अधिसूचित किया और राज्य सरकार को निर्देशित किया की अधिसूचित केन्द्रीय अधिनियम के तहत सड़क विक्रेता नियम और योजना तैयार करें।

निर्देश को ध्यान में रखते हुए कानूनी सलाहकार, हरियाणा ने राय दी की कि "ए.डी राज्य कानून पर पुनर्विचार कर सकता है और यदि केन्द्रीय कानून के उद्देश्य पूरा करता है, तो राज्य कानून राज्य विधानमण्डल द्वारा निरस्त किया जा सकता है क्योंकि समान विषय पर दो कानूनों का कोई उपयोग नहीं है।"

सरकार के आदेश के अनुसार, विभाग ने पहले केन्द्रीय कानून के तहत 31.01.2017 को हरियाणा नगर पालिका गली विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा गली बिक्री का विनियमन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया और इसलिए अब हरियाणा नगर पालिका गली विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा गली बिक्री का विनियमन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है ताकि सड़क विक्रेताओं के मामले में तदानुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सड़क विक्रेताओं अधिनियम को अपनाया जा सके।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

---

चण्डीगढ़:
दिनांक 10 मार्च, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56091—H.V.S.—H.G.P.,Chd.